

पत्र संख्या-गव्य(आ0-07)-02 / 2025-(38)-
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना)

प्रेषक,

कैदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद / पूर्णियाँ-प्रभारी-अररिया / अरवल / बाँका / गोपालगंज / जमुई / किशनगंज /
कटिहार / लखीसराय / मधुबनी / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / नवादा / पूर्णियाँ / पटना /
शेखपुरा / सीतामढ़ी / सुपौल / सारण / सिवान / कैमूर(भभुआ) / पश्चिम चम्पारण / बेगूसराय /
दरभंगा / समस्तीपुर / खगड़िया / भोजपुर / गया जी।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष, "2404-डेरी विकास -उपमुख्यशीर्ष- 00-
लघुशीर्ष- 102- डेरी विकास परियोजनाएँ- उपशीर्ष -0115- गव्य प्रक्षेत्र की
योजनाएँ," विपत्र कोड 02-2404001020115, माँग संख्या-02,
विषयशीर्ष-0115.33.01- सब्सिडी अंतर्गत समग्र भैंस पालन योजना के तहत 01
एवं 02 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु CFMS में उपलब्ध राशि के
तहत कुल ₹ 11,03,82,250/- (ग्यारह करोड़ तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास
रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)35/2025-2415, दिनांक-
02.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये कुल रु0
14,96,77,000/- (चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र के लागत व्यय पर सब्सिडी के रूप में
अनुदान देने हेतु स्वीकृत किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत सब्सिडी के रूप
में अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना की योजना हेतु ₹ 11,03,82,250/- (ग्यारह करोड़
तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र स्वीकृत किया गया है।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के तहत सामान्य एवं
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना की
योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत रुपये ₹ 11,03,82,250/- (ग्यारह करोड़
तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-02.2404001020115 विषयशीर्ष-0115.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-02.2404001020115 विषयशीर्ष-0115.33.01-सब्सिडी		
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल योग:-
1.	11,28,98,000 / -	0	11,03,82,250/-	11,03,82,250/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235, दिनांक
01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन
आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-डेरी विकास
परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0115-गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ," विपत्रकोड-02-2404001020115, माँग संख्या-
02, विषयशीर्ष-0115.33.01-सब्सिडी अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से होगा।

(कृ०पृ०रु०)

- 6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।
- 7) विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के संदर्भ में गव्य प्रक्षेत्र की स्वीकृत विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को लक्ष्य अनुरूप राशि आवंटित किया गया है। फलस्वरूप विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के क्रियाशील होने के पश्चात् संदर्भित योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय उपरांत अव्यवहृत राशि को संबंधित नौ जिला गव्य विकास कार्यालय को हस्तांतरित/अंतरित कर दिया जाय।
- 8) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availbility of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बौका/गोपालगंज/जमुई/
किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिया/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/
सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर/प0चंपारण/बेगुसराय/दरभंगा/समस्तीपुर/खगड़िया/गया जी एवं भोजपुर को
कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- 46(आ0)/ पटना -15, दिनांक:- 12/01/2026
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.01.26
निदेशक (गव्य)

-: विवरणी :-

बजट शीर्ष-2404- डेरी विकास-राज्य स्कीम-102-डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0115-गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404001020115 के विषयशीर्ष-0115.33.01-सब्सिडी मद में राज्यस्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना (सामान्य, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) पर अनुदान हेतु कुल ₹ 11,03,82,250/- (ग्यारह करोड़ तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र की राशि का आवंटन :-

	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना (सामान्य, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) हेतु आवंटन (रु० में)		कुल योग(रुपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	5868500	0	5868500
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रमारी-अररिया	0	2752750	0	2752750
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	0	4961000	0	4961000
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	0	5687000	0	5687000
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	0	5384500	0	5384500
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर	0	2752750	0	2752750
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	0	2692250	0	2692250
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	0	2752750	0	2752750
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	0	2752750	0	2752750
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	0	2752750	0	2752750
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	0	5445000	0	5445000
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	0	2571250	0	2571250
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	0	4930750	0	4930750
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	0	2752750	0	2752750
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	2752750	0	2752750
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	0	7683500	0	7683500
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	0	2450250	0	2450250
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0	7955750	0	7955750
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	0	2752750	0	2752750
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	0	5505500	0	5505500
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीवान	0	2752750	0	2752750
22	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	0	3055250	0	3055250
23	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया)	0	4930750	0	4930750
24	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बेगूसराय	0	2752750	0	2752750
25	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, दरभंगा	0	2752750	0	2752750
26	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	2843500	0	2843500
27	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, खगड़िया	0	2510750	0	2510750
28	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	0	2873750	0	2873750
29	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गया जी	0	2752750	0	2752750
कुल योग :-		0	110382250	0	110382250

(रुपये ग्यारह करोड़ तीन लाख बेरासी हजार दो सौ पचास) मात्र

निदेशक (गव्य)